2010:CGHC:11519-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

न्यायपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं
माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 1015/2001

चेतनलाल

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारणीय निर्णय

हस्ताक्षरित/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश
3-12-2010

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

4-12-2010

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए दिनांक 04 दिसंबर, 2010

हस्ताक्षरित/-
न्यायाधीश
टी. पी. शर्मा
04-12-2010

2010:CGHC:11519-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(युगलपीठ)

न्यायपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 1015/2001

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी – चेतनलाल, पिता बिसोहाराम निषाद, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी – खर्रा, थाना गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रथ्यर्थी– छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना गुंडरदेही, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

उपस्थित :

अपीलकर्ता की ओर से : श्री सुधीर वर्मा, अधिवक्ता I

प्रथ्यार्थी राज्य की ओर से : श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ताI

2010:CGHC:11519-DB

निर्णय

(दिनांक: 04 दिसम्बर, 2010 को पारित)

माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा::

1. इस अपील में दिनांक 29-8-2001 को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 103/2001 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा तथा जिसके तहत, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को गेंदलाल की हत्या की कोटी मैं आने वाला आपराधिक मानववध (culpable homicide amounting to murder) कारित करने का दोषी पाकर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है एवं आजीवन कारावास का दंड भुगतने के लिए दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी प्रकार के साक्ष्य के, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया है और इस प्रकार अवैधता की है।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थी चेतनलाल और उसका भाई गेंदलाल (मृत) ग्राम खार्रा, थाना गुंडरदेही, जिला दुर्ग में एक ही घर में अलग-अलग हिस्सों में निवास करते थे। घटना के दिनांक से पंद्रह दिन पूर्व, अपीलार्थी की पत्नी अपीलार्थी के घर से चली गई थी। अपीलार्थी को गेंदलाल पर यह शंका थी कि वह उसके पारिवारिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अपीलार्थी अपनी पत्नी की खोज में गया था, परंतु उसका पता नहीं चला। 14-6-2000 की दुर्भाग्यपूर्ण तिथि को वह अपने घर वापस आया और लगभग सुबह

5 बजे जब गेंदलाल अपने बरामदे में सोया हुआ था और उसकी भाभी लीला बाई (अ.सा.-2) उसी घर के आँगन में बर्तन धो रही थी, तब उसने एक बड़े आकार का पत्थर निकाला और उसे गेंदलाल के सिर पर पटक दिया और घातक चोटें पहुंचाईं। गेंदलाल की पत्नी उर्मिला बाई (अ.सा.-1) ने सहायता के लिए पुकारा, जिस पर अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया। उर्मिला बाई (अ.सा.-1) और लीला बाई (अ.सा.-2) ने घटना सरपंच तथा अन्य व्यक्तियों को बताई। लीला बाई (अ.सा.-2) थाना गई और घटना के दो घंटे के भीतर उसी दिन प्रदर्श पी-1 के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज कराई। घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी और साधारण मिट्टी तथा रक्तरंजित तौलिया प्रदर्श पी-7 के तहत जब्त किए गए। घटनास्थल का नक्शा अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी-8 के तहत तैयार किया गया। घायल गेंदलाल को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुंडरदेही भेजा गया, प्रदर्श पी-14 के तहत। डॉक्टर द्वारा उसका परीक्षण किया गया, उसकी स्थिति गंभीर थी और उसे जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया जहाँ डॉ. एस.के. फाटिंग (अ.सा.-6) ने प्रदर्श पी-10 के तहत उसका परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बाईं आँख के नीचे 3 सेमी पर 2½ सेमी × ½ सेमी × ½ सेमी का एक फटा हुआ घाव (lacerated wound) तथा दोनों कानों से रक्तस्राव पाया। घायल गेंदलाल दोनों कानों में दर्द की शिकायत कर रहा था। वह बेचैन था और उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। अन्वेषण के दौरान, अपीलार्थी को दिनांक14-6-2000 को अभिरक्षा में लिया गया, उसने प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत रक्तरंजित पत्थर के संबंध मैं प्रकटीकरण का बयान दिया जिसे उसने घटनास्थल के पास छोड़ा था और उसी की निशानदेही पर प्रदर्श पी-6 के तहत बरामद किया गया। पटवारी ने प्रदर्श पी-2 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। उपचार के दौरान, गेंदलाल @ गेंदुराम की मृत्यु दिनांक 5-8-2000 को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो गई। मर्ग प्रदर्श पी-12 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस थाना दुर्ग ने डॉक्टर द्वारा भेजी गई सुचना प्रदर्श पी-21 के आधार पर प्रदर्श पी-22 के तहत मर्ग दर्ज किया। गवाहों को प्रदर्श पी-3 के तहत तलब करने के बाद मृत शरीर पंचनामा (inquest) प्रदर्श पी-4 के तहत तैयार किया गया। मृत शरीर को जिला अस्पताल, दुर्ग में शवपरीक्षण हेतु प्रदर्श पी-23 के तहत भेजा गया। डॉ. आर.एन. पांडे (अ.सा.-8) ने प्रदर्श पी-13 के तहत शवपरीक्षण किया और निम्न लक्षण तथा चोटें पाईं:–

- खोपड़ी की हड्डी के ऊपर टाँके पाए गए।
- कंडिकाइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल और ऑक्सिपिटल हड्डियों के दाहिनी तरफ फ्रैक्चर पाए गए।
- मस्तिष्क पदार्थ घाव से पस के साथ बाहर आ रहा था।
- चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं।
- मृत्यु का कारण जीवित-अवस्था में प्राप्त सिर की चोट के परिणामस्वरूप सदमा और सेप्टीसीमिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जब्त की गई वस्तुओं को केमिकल परीक्षण हेतु विधि विज्ञानं प्रयोगशाला, रायपुर, प्रदर्श पी-17 के तहत भेजा गया और अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद पत्थर पर रक्त की उपस्थिति प्रदर्श पी-18 के तहत पुष्टि की गई।

4. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग के न्यायालय में प्रेषित किया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु यह प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल बारह गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों का खंडन किया तथा निर्दोष होने और प्रश्नगत अपराध में झूठे फँसाए जाने का अभिकथन किया

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त के अनुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्के सुनी हैं, निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क रखा कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल रिश्तेदार तथा हित बुध साक्षी उर्मिला बाई (अ.सा.-1) एवं लीला बाई (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर आधारित है, जो विश्वास उत्पन्न नहीं करता, विश्वसनीय नहीं है तथा स्वतंत्र स्रोतों से भी पुष्टि (corroboration) के अभाव में उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थी के पास अपने भाई गेंदलाल की हत्या की कोटी में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध करने का कोई हेतुक नहीं था। अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने दिनांक 14-6-2000 को चोट पहुंचाई, परंतु गेंदलाल की मृत्यु दिनांक 5-8-2000 को एक माह पच्चीस दिन पश्चात् हुई, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी ने गेंदलाल की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुंचाई। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 7-9-2010 को पारित दाण्डिक अपील क्र.816/1992 **{मंतोष बनाम मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)}** में पारित निर्णय का अव्लंभ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया हौ, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हत्या की कोटी में आने वाली मृत्यु कारित करने के हेतुक के अभाव में, अपीलार्थी की धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और उपयुक्त दोषसिद्धि धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत होगी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दिनांक 12-3-2008 को दाण्डिक अपील क्र.919/2002 **(पंद्रू बनाम राज्य छत्तीसगढ़)** तथा दिनांक 15-7-2009 को दाण्डिक अपील क्र.23/2005 **(लीलाधर यादव एवं अन्य बनाम राज्य छत्तीसगढ़)** में पारित निर्णयों का भी अव्लंभ लिया है, जिनमें इस न्यायालय ने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है।

9. इसके विपरित, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जोरदार विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पास अपने भाई की हत्या की कोटी मे आने वाले आपराधिक मानववध करने का निश्चित हेतुक था, उसे मृतक पर यह शंका थी कि मृतक ने उसके पारिवारिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई है और मृतक द्वारा इस प्रकार की भूमिका निभाए जाने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की पत्नी अपीलार्थी के घर को छोड़कर चली गई थी, और इसलिए जब मृतक सो रहा था तथा असहाय स्थिति में था, तब अपीलार्थी ने उसके सिर पर बड़े आकार का पत्थर पटक दिया, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की कोटी में आने मृत्यु कारित करने के आशय से सिर की लगभग सभी प्रमुख हड्डियों में घातक चोटें पहुंचाईं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सही रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान मामले में, मृतक गेंदलाल की सिर पर पाए गए घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या स्वरूप मृत्यु के संबंध में अपीलार्थी की ओर से कोई ठोस विवाद नहीं किया गया है, अन्यथा भी, डॉ. एस.के. फाटिंग (अ.सा.-6) के साक्ष्य, चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10, डॉ. आर.एन. पांडे (अ.सा.-8) के साक्ष्य तथा शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-13 से यह स्थापित है कि मृतक की मृत्यु मानववध स्वरूप (homicidal in nature) की थी।

12. प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से उर्मिला बाई (अ.सा.-1), लीला बाई (अ.सा.-2) एवं द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मृत गेंदलाल की पत्नी उर्मिला बाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी की पत्नी अपीलार्थी के घर से चली गई थी; पूर्व में अपीलार्थी अपनी पत्नी की खोज में मृतक गेंदलाल @ गेंडुराम एवं एक रोमनलाल के साथ गया था; घटना के दिन प्रातः लगभग 4 बजे अपीलार्थी, मृतक गेंडुराम एवं रोमनलाल अपने घर वापस आए; मृतक गेंदलाल अपने बरामदे में सोने चला गया और अपने बरामदे में ही सो रहा था; प्रातः लगभग 7 बजे यह साक्षी उसी घर के आँगन में अपने बर्तन धो रही थी, लीला बाई (अ.सा.-2) एवं द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) भी वहाँ उपस्थित थे; अपीलार्थी अपने कमरे से आया, दरवाज़े के पास रखे एक पत्थर को उठाया और उसे गेंडुराम (अर्थात् उसके पति) के सिर पर दो बार दे मारा; इसके पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया। इस साक्षी ने अपनी देवरानी लीला बाई

(अ.सा.-2) के साथ सहायता के लिए पुकारा और उसकी आवाज़ सुनकर सरपंच एवं अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए, उन्होंने गेंदलाल को अस्पताल पहुँचाया और कुछ दिन बाद अंततः उसके पति की मृत्यु हो गई। मृतक गेंदलाल एवं अपीलार्थी की देवरानी लीला बाई (अ.सा.-2) ने उर्मिला बाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य की मुख्य रूप से पुष्टि (corroboration) की है।

14. द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि घटना के समय वह मवेशियों को चारा दे रहा था, उसी समय उसने यह आवाज़ सुनी — "अपीलार्थी ने गेंदलाल पर पत्थर दे मारा है और वह घटनास्थल से भाग गया है" — जिस पर वह तुरंत अपने घर से बाहर आया, अर्जुंडा रोड के पास उसकी मुलाकात अपीलार्थी से हुई, इस (अ.सा.-3) ने अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे गाँव लाकर सरपंच के हवाले कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. निश्चित रूप से, उर्मिला बाई (अ.सा.-1), लीला बाई (अ.सा.-2) तथा संभवतः द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) न केवल मृतक गेंदलाल @ गेंदूराम के रिश्तेदार हैं, बल्कि वे अपीलार्थी के भी रिश्तेदार हैं। बचाव पक्ष ने इन गवाहों की व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षण की है, परंतु उनकी प्रतिपरीक्षण से इनकी गवाही को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके विपरीत, उन्होंने अपीलार्थी द्वारा मृतक गेंदलाल के सिर पर पत्थर पटकने की घटना के तथ्य की महत्वपूर्ण रूप से पुष्टि (corroboration) की है।

16. उर्मिला बाई (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर प्रदर्श पी-1 से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को मृतक पर यह शंका थी कि मृतक ने उसके पारिवारिक मामले में

सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे यह दर्शाता है कि पक्षकारों के बीच कुछ तनावपूर्ण संबंध थे, परंतु केवल तनावपूर्ण संबंध या रिश्तेदारी के आधार पर ही रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य को सीधे तौर पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

17. सामान्यतः, कोई निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को संरक्षण देने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य के मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए , सर्वोच्च न्यायालय ने **दलिप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए जब तक कि वह ऐसे स्रोत से उत्पन्न न हो जो संदिग्ध होने की संभावना रखता हो। उक्त निर्णय के कंडिका 26 में निम्नलिखित अनुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 26. किसी गवाह को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से उत्पन्न न हुआ हो जिनके दूषित (tainted) होने की संभावना हो, और उसका अर्थ प्रायः यह होता है कि जब तक गवाह के पास अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता जैसी कोई वजह न हो, जिससे वह उसे झूठा फँसाना चाहे। सामान्यतः, कोई निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र हों और व्यक्तिगत शत्रुता का कारण मौजूद हो, तब अक्सर यह प्रवृत्ति होती है कि कोई गवाह अपने मन में रखी शत्रुता के कारण दोषी के साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी खींचकर सम्मिलित कर दे, परंतु ऐसे आलोचना के लिए आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है और मात्र रिश्तेदारी का तथ्य आधार होने के बजाय अक्सर सत्य का सुनिश्चित संकेतक होता है। तथापि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का

1 AIR 1953 SC 364

प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर ही आंका जाना चाहिए। हमारे ये अवलोकन केवल इस हेतुक से किए गए हैं कि हमारे समक्ष सावधानी के सामान्य नियम के रूप में बार-बार जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है, उसका उत्तर दिया जा सके। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित रहना और उन्हीं तथ्यों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।"

18. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[2] के मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया :–

"यह एक सार्वभौमिक रूप से लागू नियम के रूप में कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि किसी स्वतंत्र (public) गवाह के परीक्षण न किए जाने मात्र से अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान उत्पन्न हो जाएगा या यह कि पीड़ित के रिश्तेदार के साक्ष्य, जो अन्यथा विश्वसनीय (credit-worthy) हो, उस पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा उसकी पुष्टि न की जाए। जहाँ तक पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न का संबंध है, यह सुव्यवस्थित विधि है कि ऐसे साक्ष्य की अतिरिक्त सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षा की जानी चाहिए, परंतु केवल अभियोजन में उनकी रुचि के आधार पर ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मात्र रिश्तेदारी का तथ्य स्वयं में गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। केवल इसलिए कि कोई गवाह अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'हितबुध गवाह नहीं कहा जा सकता। यह सर्वविदित है कि 'हितबुध गवाह' शब्द का आशय यह होता है कि संबंधित व्यक्ति का अभियुक्त को किसी भी प्रकार दोषसिद्ध होते देखने में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित हो, या तो इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 2008AIR SCW 3739

कारण कि उसके मन में अभियुक्त के प्रति शत्रुता हो या फिर किसी अन्य निहित हेतुक से।"

19.इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **हरी बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3] के मामले में यह निष्कर्ष दिया है कि मात्र रिश्तेदारी के आधार पर मृतक के रिश्तेदार प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब मृतक की हत्या उसके चचेरे भाई (रिश्तेदार) द्वारा की गई हो। उक्त निर्णय के कंडिका 21, 22 एवं 23 इस प्रकार हैं :–

"21. यह सत्य हो सकता है कि सभी महत्वपूर्ण गवाह, अर्थात अ.सा. 1, 2 और 8 मृतक के रिश्तेदार हैं, परंतु केवल इस आधार पर उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। यह रिश्तेदारों के बीच का संघर्ष है और अभिलेख में यह आया है कि अपीलार्थी मृतक का चचेरा भाई है। ऐसे मामले में रिश्तेदार सबसे उपयुक्त गवाह होने की संभावना होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अधिवक्ताओ द्वारा कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर विचार और स्पष्टीकरण आवश्यक है। मृतक के रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 524 पर भरोसा किया। उस मामले में तथ्य पूरी तरह भिन्न थे और माननीय न्यायाधीशों ने उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह मत व्यक्त किया कि प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच दुश्मनी और मनमुटाव संदेह से परे स्थापित था। उस मामले में घटना के संबंध में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं

3 2009 AIR SCW 2250

कराई गई थी और इस न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूर्व में शिकायत दर्ज कराने के प्रयास की कहानी सत्य नहीं थी। उस मामले में नामबरदार और चौकीदार, जिन्हें कथित रूप से अ.सा.-1 के साथ पुलिस थाना ले जाने की बात कही गई थी, का परीक्षण नहीं किया गया था और अ.सा.-6 (थाना प्रभारी) द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिनांक 4-12-1989 से पूर्व किसी ने घटना की सूचना उसे नहीं दी थी। इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक पक्षपातपूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण करने में उच्च न्यायालय ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. परंतु वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक स्थिति पूर्णतः भिन्न है। यहाँ घटना घर के भीतर घटी और निकट संबंधियों के उकसावे पर हुई तथा ऐसी स्थिति में केवल रिश्तेदार ही गवाह हो सकते थे। निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में भूमि विवाद को लेकर कुछ दुश्मनी थी, परंतु केवल इसी आधार पर रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब उनके साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय हों। तथ्यतः, इस न्यायालय का अवतार सिंह (उपर्युक्त) का निर्णय पूर्णतः भिन्न आधार पर स्थित है।"

20. **मोहब्बत एवं अन्य बनाम म.प्र. राज्य**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि मात्र रिश्तेदारी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकती, यदि झूठे फँसाए जाने की तर्क उठाई जाती है तो उसका आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय के कंडिका 7 में निम्नलिखित कहा गया है :–

---

4 2009 AIR SCW 1486

"7. केवल इस आधार पर कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वयंमेव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब पक्षपातपूर्ण (interestedness) होने का आरोप लगाया जाता है, तो उसे स्थापित किया जाना आवश्यक होता है। मात्र यह कह देना कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं, इस कारण से वे अभियुक्त को झूठा फँसा सकते हैं, ऐसा कथन उस साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा ठोस (cogent) एवं विश्वसनीय (credible) हो। हम अभियोजन पक्ष के कथन को आगे बढ़ाने के लिए लाए गए गवाहों के तथाकथित पक्षपातपूर्ण होने संबंधी तर्क पर भी विचार करेंगे। केवल रिश्तेदारी, गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारक (factor) नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को छिपाएगा नहीं और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। यदि झूठे फँसाए जाने (false implication) की दलील उठाई जाती है, तो उसका आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होता है और यह देखने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होता है कि क्या वह साक्ष्य ठोस एवं विश्वसनीय है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के निकट संबंधियों में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने या जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए न्यायालय को उनके साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षण करना चाहिए। उपर्युक्त उद्धृत मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कंडिका 48 में निम्नलिखित कहा गया है :–

---

5 5. AIR 1984 SC 1622

"48. गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, हम कुछ सुसंगत टिप्पणियाँ कर सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है। वे सभी जिनके समक्ष मंजू ने ये कथन उस समय किये थे जब वह अंतिम बार बीड, वे सभी मृतका के निकट संबंधी एवं मित्र हैं। घनिष्ठ संबंध और स्नेह के कारण, साक्षी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने या ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति रखेगा जो संभवतः उसे बताए ही न गए हों। यह आवश्यक नहीं कि यह कार्य जानबूझकर किया जाए, किंतु अनजाने में भी मृतक के प्रति प्रेम और स्नेह से तथाकथित हत्यारे के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक घृणा उत्पन्न होती है, और इसलिए न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ परीक्षण करना होता है। भले ही गवाह आंशिक सत्य या संभवतः सम्पूर्ण सत्य बोल रहे हों, वे प्रतिशोध या अपराधी को दंडित करने की भावना से प्रेरित हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में, कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें कहा ही नहीं गया था या कहा नहीं जा सकता था, अनजाने में गवाहों के द्वारा कल्पित रूप से कथित कर दिए जा सकते हैं, ताकि अपराधी को दंडित किया जा सके। यह मानवीय मनोविज्ञान है और इसे कोई रोक नहीं सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. रिश्तेदार गवाहों के कथनों को केवल रिश्तेदारी के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के लिए आवश्यक है कि वे उनके साक्ष्य का अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षण करें।

23. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य का केवल सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक है। उर्मिला बाई (अ.सा.-1), लीला बाई (अ.सा.-2) तथा द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) के साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण पर, हमें उनके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता हो।

24. वर्तमान मामले में, अभियोजन ने अपीलार्थी की निशानदेही पर पत्थर की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। अभियोजन के मामले के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी ने प्रदर्श पी-5 के तहत पत्थर का प्रकटीकरण कथन दिया तथा उसी की निशानदेही पर प्रदर्श पी-6 के तहत बरामद किया गया। मामले के गुण-दोष तथा साक्ष्यों पर विचार किए बिना, ये दोनों दस्तावेज़ (प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6) स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि पत्थर घटनास्थल के पास पड़ा हुआ था, जहाँ घायल गेंदलाल का शरीर पड़ा हुआ था; वह छिपी हुई स्थिति में नहीं था तथा वह सभी व्यक्तियों के ज्ञान में था, यहाँ तक कि ये तथ्य प्रदर्श पी-1 एफआईआर में भी उल्लेखित हैं। पत्थर पटकने के बाद अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी ने ऐसे पत्थर का प्रकटीकरण कथन नहीं किया, जो केवल उसी के ज्ञान में था या जो अन्य व्यक्तियों सहित अन्वेषण अधिकारी के ज्ञान में न हो, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया। अतः, तथ्यों के ऐसे खुलासे के साक्ष्य से हम प्रभावित नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उर्मिला बाई (अ.सा.-1), लीला बाई (अ.सा.-2) तथा द्वारिका प्रसाद (अ.सा.-3) के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार है कि अपीलार्थी ने मृतक को घातक चोटें पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। उनके साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की कोटी मैं आने वाला मृत्यु कारित की।

26. अपराध के पीछे के हेतुक के संबंध में, हेतुक केवल आपराधिकता में सहायता करता है और प्रत्यक्ष साक्ष्य होने की स्थिति में इसका महत्व समाप्त हो जाता है। हेतुक का अनुमान

प्रयुक्त हथियार, शरीर के जिस भाग पर चोट पहुँची, चोट की प्रकृति एवं अन्य समान परिस्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है।

27. **मंतोष, पंद्रू तथा लीलाधर यादव (उपर्युक्त)** के मामलों में, जिन पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अव्लंभकिया है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध कारित करने के हेतुक (motive) के अभाव में परंतु कृत्य के परिणाम के ज्ञान की स्थिति में, अभियुक्त की धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है, तथापि अभियुक्त का कृत्य धारा 300 भा.दं.सं. की अपवाद 4 (Exception 4) के अंतर्गत आता है और ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

28. वर्तमान मामले में, उर्मिला बाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी मृतक एवं एक रोमनलाल के साथ अपनी पत्नी की खोज में गया था, यद्यपि अपीलार्थी को मृतक पर शंका थी, दोनों सगे भाई थे और एक ही परिसर में अलग-अलग हिस्सों में निवास करते थे। घटना के दिन प्रातः 4 बजे अपीलार्थी एवं मृतक अपने घर वापस आए और उसके उपरांत डेढ़ घंटे के भीतर अपीलार्थी ने पत्थर पटककर मृतक पर हमला किया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जब अपीलार्थी अपनी पत्नी की खोज कर वापस आया और उसे नहीं पा सका, तब मृतक के प्रति शंका के आधार पर तथा निराशा (frustration) की स्थिति में, अपीलार्थी ने बरामदे में सो रहे मृतक गेंदलाल के सिर पर पत्थर पटक दिया। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि एक चोट पाई गई, यद्यपि एक ही स्थान पर बार-बार हमले की स्थिति में परीक्षण के समय केवल एक ही चोट दिखाई दे सकती है। चोटें घातक प्रकृति की थीं, परंतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तत्काल चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया गया और मृतक एक माह पच्चीस दिन तक जीवित रहा। इन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने मृतक को मृत्यु कारित करने के आशय से चोट नहीं पहुंचाई, परंतु ऐसी चोट पहुंचाते समय अपीलार्थी को यह ज्ञान था कि उसके कृत्य से मृतक गेंदलाल की मृत्यु हो सकती है। जिन परिस्थितियों में अपीलार्थी ने चोट पहुंचाई, वे दर्शाती हैं कि वह निराशा की अवस्था में था तथा उसे शंका थी कि मृतक ने उसके पारिवारिक मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। अपीलार्थी ने ऐसी चोट पूर्वचिन्तन (premeditation) के बिना पहुंचाई तथा उसने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया और न ही निर्दयतापूर्ण अथवा असामान्य तरीके से कार्य किया। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी का कृत्य धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के दायरे से आगे नहीं जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अपीलार्थी को धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध करते समय, विचारण न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जिनमें अपीलार्थी ने अपराध किया था, और इस प्रकार अवैधता की है।

30. उपर्युक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसके स्थान पर उसे धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अपीलार्थी 15-6-2000 से न्यायिक अभिरक्षा में है और वह दस वर्ष से अधिक की कारावास अवधि पूरी कर चुका है। अतः उसे उसके द्वारा भुगती गई अवधि, अर्थात् लगभग दस वर्ष पाँच माह, की कारावास से दंडित

किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-	सही/-
सुनील कुमार सिन्हा	टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Ankita Jangde, Advocate